रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है ।

अनुक्रमांक –

शासकीय महाविद्यालय

भानपुरी, जिला– बस्तर (छ.ग.)

विवरण–पत्रिका

आवेदन भरने के पूर्व विवरण पत्रिका का अध्ययन अवश्य कीजिए ।

शैक्षणिक सत्र 20.16..... 20 17.....

विवरण पत्रिका का मूल्य 30/– रूपये
(पहचान पत्रक सहित)

दोषी छात्र का प्रवेश स्वत: निरस्त माना जावे ।

शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी

महाविद्यालय का परिचय –

उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु राज्य शासन द्वारा इस पिछड़े जिले में 2008 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय शासकीय महाविद्यालय भानपुरी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी ।

महाविद्यालय का सत्र प्रारंभ :

महाविद्यालय का शिक्षा सत्र जुलाई से प्रारंभ होगा एवं ग्रीष्मकाल के पश्चात 16 जून से प्रारंभ व 30 अप्रैल को समाप्त ।

महत्वपूर्ण सूचना :- (आवेदक कृपया इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें)

1. छात्र आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें । आवेदन पत्र प्राप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद में यह पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक शुल्क लेखा शाखा में जमा कर उसी रसीद तत्काल प्राप्त करें ।
   महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी नामांकन फार्म भी कार्यालय से लेकर उसकी पूर्ति कर जमा करें । अधिकृत लिपिक के अलावा महाविद्यालय के किसी अन्य कर्मचारी के पास शुल्क जमा न करें, अन्यथा उसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय पर नहीं होगी । संपूर्ण शुल्क प्रवेश के समय ही एक मुश्त लिया जावेगा ।
2. छात्राओं को प्रवेश प्राप्त करते समय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
3. अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न पहचान पत्रक में छात्र/छात्रा अपना पासपोर्ट साईज फोटो अवश्य लगावें, इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
4. अन्य कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित किये जाने के 10 दिन के भीतर ही प्राप्त करना होगा ।
5. विश्वविद्यालय के नियमानुसार संकाय एवं विषय परिवर्तन की अनुमति 15 अगस्त के पश्चात नहीं दी जा सकेगी । प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना संकाय/विषय परिवर्तन नहीं होगा ।
6. अपूर्ण एवं बिना प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी ।

7(अ). मध्य बस्तर जिले के बाहर आये इस महाविद्यालय में प्रवेश इच्छुक विद्यार्थी तभी प्रवेश पा सकेंगे जब वे इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जहां से वे आ रहे हैं, वहां उसके अध्ययन की सुविधा नहीं है ।

(ब) इस महाविद्यालय के समीपस्थ आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी ।

8. छत्तीसगढ़ शासन एवं बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अनुसार विवरण पत्रिका प्रकाशित की जा रही है । यदि विवरण पत्रिका के मुद्रण दरम्यान अथवा मुद्रण के पश्चात प्रवेश नियमों में शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन कर दिया जाता है तो उस दशा में प्रवेश संबंधी नियम संशोधित नियमों के अनुसार दिय जावेगा और उस स्थिति में विवरण पत्रिका

में उल्लेखित प्रवेश संबंधी नियम संशोधित नियम के विपरित लागू नहीं होंगे ।

9. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र-छात्रों को शासन द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । वर्तमान में विभिन्न संकायों के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों के अध्यापन की व्यवस्था –

1. कला संकाय :-

(1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) राजनीति विज्ञान (4) समाज शास्त्र

2. विज्ञान संकाय :-

(1) रसायन विज्ञान (2) वनस्पति शास्त्र (3) प्राणीशास्त्र (4) भौतिक शास्त्र (5) गणित इन सभी विषयों का अध्ययन होता है । इनके प्रवेश के लिये साक्षात्कार में उपस्थित होना है । इसमें प्रवेश के नियम आवेदन पत्र के पीछे छपे हैं ।

3. वाणिज्य संकाय :- स्नातक स्तर तक अध्यापन होता है ।

प्रवेश प्रक्रिया –

उपर्युक्त संकायों के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी :-

1. (क) बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम पार्ट 1 की कक्षाओं में छ.ग. हायर सेकण्डरी एजुकेशन बोर्ड रायपुर की 10+2 (बारहवीं) परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 40% या उससे अधिक अंक प्राप्ति के आधार पर गुणाक्रमानुसार प्रवेश दिया जायेगा । अन्य बोर्ड या केन्द्रीय बोर्ड से 10+2 पास विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में ही प्रवेश मिलेगा । कृषि समूह से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल बी.ए. पार्ट 1 की कक्षा में प्रवेश पाने की पात्रता होगी । इन कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुन: उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।

   (ब) बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम (पार्ट 1)

   परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल एक बार संकाय परिवर्तन की सुविधा प्राप्त होगी, परंतु कला और वाणिज्य संकाय के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त रहता है । संकाय परिवर्तन करने पर प्राप्तांक में 5 % कम कर अनुक्रम बनाया जाएगा ।

   (ग) प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र-छात्राओं को निर्धारित आवेदन पत्र निम्नलिखित अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा :-

1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र । (महत्वपूर्ण सूचना क्रमांक 7 के अनुसार)
2. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा के अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि ।
3. चरित्र प्रमाण पत्र (यदि पिछली परीक्षा असंस्थागत विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है, तो किन्ही 3 प्रतिष्ठित नागरिकों के प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांगता/माता-पिता के छ.ग. तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ।

5. प्रवजन प्रमाण पत्र मूल रूप में (यदि अन्य बोर्ड से आवेदन आया है)

6. वि.वि. के पत्र क्रमांक 437/अंक/मान्यता/पात्रता रायपुर दिनांक 10.06.95 के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राएं इस महाविद्यालय को छोड़कर यदि छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, उन्हे विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं सेन्ट्रल ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पात्रता हेतु उन्हें अपने समस्त पूर्ववती परीक्षाओं की अंकसूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियों एवं उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियों सहित मूल प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा, जिसमें सेकण्डरी तथा हायर सेकण्डरी की अंक सूचियों की अंक सूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है । उक्त आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर ही पात्रता हेतु निर्धारित 50/- रूपये जमा करना आवश्यक होगा तथा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200/- विलंब शुल्क लगेगा जो नियमित छात्रों के लिये प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिये परीक्षा आवेदन पत्र पर जैसे ही विलंब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा । यदि छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालय के पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस महाविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदन को उक्त विश्वविद्यालय का उक्त सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण प्रकरण निपटने में आसानी हो सके ।

2. बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. (पार्ट 2 तथा 3) कक्षाओं में प्रवेश नवीनीकरण हेतु इस महाविद्यालय से वर्ष 2015 (मुख्य परीक्षा) में नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण के पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को विवरण पत्रिका में संलग्न केवल आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा और आवेदन पत्र के साथ ग्रहिता पत्रक राहित पहचान पत्रक (फोटो सहित)भी संलग्न करना होगा । इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रपत्र नहीं लगेगा । पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग विकलांगता/माता-पिता के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा) लगाना होगा । स्नातक स्तर की पार्ट 1,2,3 कक्षाओं में प्रवेश के बाद महाविद्यालय छोड़ने या परीक्षा में बैठने पर फिर से उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

3. छ.ग. विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जायेगा । यह प्रतिबंध छ.ग. में पदस्थ अन्य प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों पर लागू नहीं होगा ।

4. कक्षाओं में प्रवेश नवीनीकरण हेतु पूर्व अर्हकारी परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थियों अभ्यार्थियों /अभ्यार्थियों को केवल विवरण पत्रिका से संलग्न आवेदन पत्र तथा ग्रहिता पत्रक सहत पहचान पत्रक (फोटो सहित) भरकर निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा और इन्हे नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो अभी तक लिये जाने वाले प्रवेश के बराबर होगा ।

स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों तथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को उपयुर्क्त 1 (अ) में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा । प्रवेश स्थान रिक्त होने पर ही दिया जा सकेगा ।

5. उस संदर्भित परिपत्र की कंडिका (4) के तहत अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक अभ्यार्थियों को प्रवेश तभी दिया जा सकेगा, जबकि रविशंकर वि.वि. से अनुमति प्राप्त हो जायेगी ।

6. अधिभार का आशय प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा । यह अधिभार नियमानुसार होगा, किन्तु एक से अधिक प्रकार का अधिभार देय नहीं होगा ।

(1) एन.सी.सी.

(अ) स्नातक स्तर ए सर्टिफिकेट 2%

(ब) स्नातक स्तर ब सर्टिफिकेट 2%

`या

सी सर्टिफिकेट के आधार पर

(2) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिताओं में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 3%

(3) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में एन.सी.सी./एन.एस.एस. के कन्टिजेंट में भाग लेने वाले अभ्यार्थी को 5%

(4) एन.एस.एस. में 240 घंटों के प्रमाणित कार्य अनुभव के आधार पर 3%

(5) शासकीय महाविद्यालयों में आनर्स पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण महाविद्यालय के 10%

विशेष प्रोत्साहन -

1. जिसमें ओलंपियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उन्हे बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा, जिसके उन्हे पात्रता हो परंतु इस प्रकार की सुविधा का पुन: प्राप्त करने के लिये उन्हे उर्पयुक्त उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

2. जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता तथा लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. शासन द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर आंचलिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को नियमानुसार उनके द्वारा अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों को निम्नलिखित प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा ।

क. गोल्ड मेडलिस्ट/प्रथम स्थान होने वाले को 20%

ख. रजत मेडल/द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15%

ग . ब्रोंज मेंडल/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 12%

घ. केवल भाग लेने वालों को 10%

ड. अंको का अधिभार 10%

अंको का अधिभार केवल एक ही आईटम के लिये देय होगा। प्राप्तांकों का अधिभार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को देय होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें रखते हैं।

3. भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली रायपुर में स्थापित छात्रावास में प्रवेश अभ्यार्थी को 15 % अधिभार दिया जायेगा।

7. आयु सीमा –

1. सामान्य छात्रों के लिये प्रवेश की अधिकतम आयु –

जिन विषयों में स्वध्यायी रूप से परीक्षा देने का प्रावधान है, उसमें स्नातक स्तर पर 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2. छात्राओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों के प्रवेश की अधिकतम आयु

3. आयु की गणना – आयु की गणना उस सत्र की एक जुलाई के आधार पर की जायेगी।

4. आरक्षण –

1. शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (सीट्स) आरक्षित रहेंगे।

2. अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये क्रमश: 14 तथा 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। विधि संकाय को छोड़कर अन्य विषयों में इन आरक्षित स्थानों में प्रवेश की पात्रता के लिये इस वर्ग छात्र- छात्राओं को 10 % प्राप्तांकों का अधिभार मिलेगा। विधि संकाय में प्रवेश के लिये बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड माने जावेंगे।

3. विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्य (पुत्र-पुत्री/प्रपौत्री) के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। केवल विकलांग वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये 10% अंको का अधिभार प्राप्तांकों के आधार पर दिया जायेगा।

4. आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान सामान्य वर्ग के छात्रों से गुणानुक्रम के आधार पर भरें जायेंगे। सर्वप्रथम नियमित उत्तीर्ण छात्र, तत्पश्चात एक विषय में पूरक प्राप्त नियमित छात्र तथा फिर भी यदि स्थान रिक्त रहे तो पात्रता के आधार पर भूतपूर्व उत्तीर्ण और उसके बाद स्वध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

8. अस्थायी प्रवेश –

1. पूरक प्राप्त छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा।

2. जिन छात्रों को 10+2 परीक्षा में पूरक प्राप्त हुआ है, उन्हे स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। इसी प्रकार जिन छात्रों को स्नातक परीक्षा में पूरक प्राप्त हुआ है, उन्हे स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा, स्नातक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में छात्र-छात्रा को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में स्थायी प्रवेश दिया जायेगा, बशर्ते कि कक्षा में स्थान रिक्त न हो। यह प्रवेश गुणानुक्रम में ही होगा।

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेशार्थियों की निर्धारित संख्या –

महाविद्यालय में प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधाओं के आधार पर स्थापित समूह निम्नानुसार निर्धारित है :–

1.	बी.एस.सी पार्ट 1	जीव विज्ञान समूह	60	गणित समूह 60
2.	बी.एस.सी पार्ट 2		60	
3.	बी.एस.सी पार्ट 3		60	
4.	बी.ए. पार्ट 1		60+60	
5.	बी.ए. पार्ट 2		60	
6.	बी.ए. पार्ट 3		60	
7.	बी.कॉम. पार्ट 1		50	
8.	बी.कॉम. पार्ट 2		50	
9.	बी.कॉम. पार्ट 3		50	

शिक्षा का पाठ्यक्रम :–

पाठ्यक्रम बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरणिका पर आधारित होता है।

(1) बी.ए./बी.एस.सी/बी.कॉम पार्ट 1 एवं 2 के लिए निम्नलिखित विषय होंगे –

(क) आधार पाठ्यक्रम (Foundation Courses)

1. हिन्दी भाषा (Hindi Language) अनिवार्य (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम भाग 1, 2, एवं 3 के लिए)
2. अंग्रेजी भाषा (English Language) (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम भाग 1, 2, एवं 3 के लिए)

(ख) मुख्य विषय (Core subjects)

इसके अंतर्गत छात्र 2016 में प्रवेश लेते समय पार्ट 1 में जो विषय चयन करेगा, उन्ही विषयों में उन्हे पार्ट 2 एवं 3 में प्रवेश मिलेगा।

विज्ञान संकाय – पार्ट 1, 2 एवं 3 में प्रवेश मिलेगा।

1. रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं गणित (कोई तीन)

कला संकाय –

छात्रों को आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त दिये गये 5 क्रमों में से प्रत्येक एक–एक विषय लेकर कुल 3 विषय लेने की पात्रता होगी।

क्रम – 1– समाजशास्त्र/मानव विज्ञान (दोनो में एक) 2– राजनीति शास्त्र 3– हिन्दी साहित्य 4– अंग्रेजी साहित्य

वाणिज्य संकाय –

सभी विषय अनिवार्य, वैकल्पिक विषय यदि किसी कक्षा में है तो वह विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट - कला, वाणिज्य, विज्ञान संकायों के पार्ट 2 में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथापि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र हेतु स्वीकृत विषय समूह ही अंतिम रूप से मान्य होंगे ।

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना एवं शुल्क पटाना -

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा शुल्क पटाने की तिथि सूचना फलक पर लगा दी जायेगी ।

निम्नलिखित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा -

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेत घोषित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होन वाले आवेदन पत्रों पर
2. अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरे आवेदन पत्रों पर
3. आवेदन पत्र जो आवश्यक प्रलेखों सहित नहीं हैं ।

(ख) आचरण संहिता

सामान्य नियम - छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे । किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवा सर्वदा वर्जित है ।
7. महाविद्यालय के इधर-उधर थूकना, दिवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 % उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उन्हें स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा ।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा निर्धारित समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों से समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट फर्निचर, इलेक्ट्रीक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जावेगा ।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी का शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया हो तो उसे प्रवेश से तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किए जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा । महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे । महाविद्यालय की आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने का दायित्व छात्रों पर होगा ।

(ग) उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम –

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1975 के अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय के) छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

(घ) विश्वविद्यालयीन अधिनियम में प्रावधान –

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासनहीनता की कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है । अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में दण्ड प्रावधान है ।

महाविद्यालय में निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं –

(अ) 1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2. शिक्षकों के पाल्यों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
3. एकीकृत (पुनरीक्षित) छात्रवृत्ति 4. पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति
5. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिये छात्रावास/अधीक्षक से संपर्क किया जाये ।

(ब) पुस्तकालय में विलंब से पुस्तक आने पर प्रतिदिन 25 पैसे प्रति पुस्तक की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा । पुस्तक गुमने पर पुस्तक की वर्तमान बाजार कीमत के साथ संबंधित अवधि का दण्ड भी वसूल किया जायेगा । यदि गुमाई गई पुस्तक अनुपलब्ध होगी तो प्रकाशकों से संपर्क कर नई प्रति के लिए उनके द्वारा बतलायी गई कीमत तथा विलंब शुल्क वसूल किया जायेगा । पुस्तकालय से पुस्तक निर्गमन कराते समय प्रत्येक ग्रहिता का यह कर्तव्य है कि वह निर्गमन के समय ही पुस्तक को अच्छी तरह देख लें कि वह पुस्तक ठीक दशा में है तथा उसके सभी पृष्ठ ठीक हैं और लौटाते समय वह कटी- फटी दशा में पायी जाती है अथवा उसके बीच के पृष्ठ गायब पाये जाते हैं तो कीमत नियमानुसार वसूल की जायेगी । पुस्तक वापस नहीं ली जायेगी । सत्र के अंत में प्राचार्य द्वारा सूचित तिथि पर ग्रहित को समस्त पुस्तकें पुस्तकालय को लौटानी होगी । राशि जमा कर पुस्तक को प्राप्त करने का कोई प्रावधान नही होता । पुस्तक निर्गमन के लिये पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
खेलकूद,एन.एस.एस.की सुविधाएँ हैं ।

(स) महाविद्यालय में खेलकूद संबंधी समुचित व्यवस्था है ।
एन.सी.सी. में केवल स्नातक स्तर के कुल 50 छात्रों को ही प्रवेश मिल सकेगा । ''ए'' प्रमाण पत्र का प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी ।
राष्ट्रीय सेवा योजना में स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राएँ भाग ले सकते हैं । इस 1 इकाई में 50 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा ।

शुल्क –

1. जो छात्र मध्य सत्र में इसी राज्य के किसी शासकीय महाविद्यालय से इस महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उनके ऐसे प्रवर्जित उस अवधि के लिए शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा, जिस अवधि के लिये किसी अन्य शासकीय महाविद्यालय में प्रविष्ट थे । छात्र महाविद्यालय में प्रवेश पाने पर संपूर्ण सत्र के लिए शिक्षण शुल्क जमा करने को बाध्य हैं, चाहे इन्हें किसी भी तारीख को महाविद्यालय के छात्रावास मे प्रवेश मिला है तो प्रवेशार्थी को संपूर्ण सत्र के लिए छात्रावास शुल्क जमा करना होगा । सभी शुल्क (शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि एकमुश्त जमा करना होगा)

शुल्क की दरें –

शासन की स्वीकृति के बिना शुल्क लौटाया नहीं जावेगा ।

शिक्षण शुल्क – 1. बी.ए., बी.कॉम, त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम 115/– रू. प्रत्येक तथा एम.ए. (पूर्व तथा उत्तरार्ध) सत्र के लिए 115/– रूपये प्रत्येक ।

2. बी.एस.सी. (त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम) 115+20.00

टिप्पणी :– शिक्षण शुल्क दरों में शासकीय आदेशानुसार परिवर्तन किये जा सकेंगे ।

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश मिलते ही निम्नांकित अशासकीय शुल्क अग्रिम रूप से जमा करना होगा ।

बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी			अशासकीय शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	–	रू. 05.00
2.	छात्र संघ शुल्क	–	रू. 05.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण निधि	–	रू. 05.00
4.	स्टेशनरी	–	रू. 10.00
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	–	रू. 30.00
6.	सम्मिलित निधि यूनियम गतिविधियाँ	–	रू. 32.00
7.	सोशल गेदरिंग (स्नेह सम्मेलन)	–	रू. 20.00
8.	चिकित्सा एवं विश्वविद्यालय क्रीड़ा शुल्क	–	रू. 120.00
9.	परिचय पत्र शुल्क	–	रू. 10.00
10.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क	–	रू. 15.00
11.	वाचनालय शुल्क	–	रू. 20.00
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी			बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी
12.	पुन: प्रवेश शुल्क	–	रू. 10.00
13.	पत्रिका शुल्क/विकास निधि	–	रू. 25.00
14.	ग्रन्थालय विकास शुल्क	–	रू. 10.00
15.	शारीरिक कल्याण	–	रू. 250.00

	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी		बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी
16.	अवधान राशि (स्नातक)	–	रू. 150.00
17.	महाविद्यालय क्रीड़ा शुल्क	–	रू.34.00
18.	नामांकन शुल्क	–	रू. 60.00
19.	शिक्षण शुल्क	–	रू. 115.00
20.	प्रायोगिक शुल्क	–	रू. 20.00
21.	जनभागीदारी शुल्क	–	रू. 300.00
	कला, वाणिज्य	–	
	विज्ञान	–	रू. 350.00
	स्थानीय परीक्षा शुल्क	–	रू. 50.00

शिक्षण शुल्क के साथ समस्त अन्य शुल्क (अवधान राशि तथा सम्मिलित निधि भी) महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के समय जमा करना होगा, जिसके अभाव में प्रवेश सीव नहीं होगा। शुल्क जमा करने का कार्यालयीन समय 11.00 बजे प्रात: से दोपहर 1.30 बजे तक, छात्र पटाई गई राशि की रसीद सुरक्षित रखें।

शिक्षण सत्र के मध्य यदि कोई छात्र विद्यालय छोड़कर दूसरे महाविद्यालय जाना चाहे तो उसे अपने निर्णय की पूर्व सूचना देनी होगी।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र के पालन को आवेदन पत्र के साथ ही अनुबंध पत्र देना होगा, जिसके न होने से छात्र को प्रवेश देना संभव नहीं होगा।

6. शुल्क मुक्ति की सुविधा –

(अ) कृषक वर्ग के लिए –

1. बी.ए., बी.काम (त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम) 79 रू. प्रत्येक सत्र के लिए।
2. बी.एस.सी. (त्रि–वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) 79 रू. प्रत्येक सत्र के लिए।

कृषकों के पुत्र एवं पुत्रियों अथवा स्त्री को जो निम्नलिखित परिभाषाओं के अंतर में आते हों उपरोक्त सुविधाएँ दी जा सकेंगी।

1. भूमि के वास्तविक स्वामी (खुद कास्त) अथवा उप भू–स्वामी जो कि स्वयं खेती करता हो, और भूमि पर पूर्ण रूपेण अवलंबित है अथवा जिसके जीवीकोपार्जन का साधन भी है, बशर्ते उनका भू–लगान रू. वार्षिक से अधिक नहीं आंका गया हो। निम्नलिखित जिलों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर और उन जिलों के वे स्थान जहां पर वार्षिक भू लगान 200 रू. से अधिक न हो।
2. कृषक श्रमिक अथवा कृषि कारीगर।

(ब) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों एवं समस्त छात्र को उपाधि पाठ्यक्रम तक के शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों से छूट पाने की रियायत छीन ली जावेगी। यह रियायत विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्ति होने पर स्वीकृत होगी।

(स) भाई-बहन यदि दो अथवा अधिक भाई-बहन एक समय (एक ही सत्र में) महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं जो ज्येष्ठ अथवा ज्येष्ठतम को पूर्ण शिक्षा शुल्क जमा करना होगा, जबकि अन्य भाई-बहन अर्ध शिक्षण शुल्क ही जमा कर सकेंगे । इस प्रकार की सुविधा पूर्णकालिक नियमित अध्ययनरत छात्र-छात्रा को ही दी जायेगी । यदि ज्येष्ठभ्राता अंशकालिक छात्र है तो उपरोक्त सुविधायें उनके कनिष्ठों को प्राप्त नहीं होगी ।

(द) **अनुसूचित जाति/जनजाति :-**

बड़ी संख्या में शुल्क सुविधायें जैसे शिक्षण शुल्क में छूट, छात्रावास शुल्क तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क रियायत, प्रवेश के लिए 33 प्रतिशत स्थानों की व्यवस्था है तथा अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ी जातियों को शासन के आदेशानुसार शिष्यावृत्ति दी जावेगी । संबंधित छात्र उपरोक्त वृत्तियों के लिये आवेदन कर सकता है ।

(7) छात्रावास :-

छात्रावास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये है, जिसका संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है । प्रवेश आवेदन पत्र आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीक्षक से प्राप्त होगा परंतु छ.ग. शासकीय कर्मचारी जो बस्तर जिले में पदस्थ हैं उनके पालियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा ।

सामान्य छात्रावास - शासन द्वारा केवल भवन का प्रावधान किया गया है । अन्य सुविधाओं की व्यवस्था महाविद्यालय की बाध्यता नहीं है ।

नोट :- सामान्य छात्रावास में छात्रों को अधिकतम 6 वर्षों तक ही प्रवेश की पात्रता होगी ।

(8) उपस्थिति आदि :-

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये -

1. कम से कम 75 विषय में उपस्थिति अनिवार्य है । उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में प्रवेश होने की तिथि से की जावेगी ।
2. महाविद्याल के प्राधिकरण छात्र के सामान्य कार्यों और प्रगति तथा शारीरिक प्रशिक्षण एन.एस.एस. आदि में रूचि प्रदर्शित करने वाले छात्रों के कार्यों से पूर्ण संतुष्ट हों ।
3. बीमारी की स्थिति में छात्र/छात्रा को चिकित्सक के प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के तुरंत पश्चात कार्यालय में जमा करना होगा ।
4. जो छात्र एन.सी.सी. अथवा एन.एस.एस. के सदस्य हैं, उनकी शारीरिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपस्थिति से मुक्त किया जावेगा । खेल कूद में हिस्सा लेने वाले छात्रों को एन.सी.सी. के लिए आवश्यक पीरियड से मुक्त कर इस आधार पर नहीं दी जावेगी कि खेल-कूद में हिस्सा लेते हैं ।

स्वास्थ्य परीक्षण:-

(अ) विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक छात्र तथा छात्रा को स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि में उपस्थित होना अनिवार्य है । तिथि स्वास्थ्य अधिकारी प्राचार्य निर्धारित की जावेगी ।

(ब) अगर विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण में निर्धारित समय पर अनुपस्थित रहेगा तो उसका विवरण स्वास्थ्य अधिकारी प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी को भेजेगा।

कार्यकारिणी छात्र को –

1. 50 रूपये ज्यादा दण्ड 2. विशेष प्रतिबंध 3. निषकासन अथवा

4. विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर सकती है।

(स) हर छात्र तथा छात्रा को जो स्वास्थ्य प्रपत्र मिलेगा उसे स्वास्थ्य अधिकारी देगी या देगा।

(द) प्रत्येक विद्यार्थी को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा नामजद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

सामान्य –

विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को उपकरण एवं रसायन आदि जो उनके प्रयोगात्मक कार्य के लिए आवश्यक हैं, संबंधित विभाग के प्रयोगशाला टीचर/तकनीशियन द्वारा विभागाध्यक्ष की अनुमति से प्राप्त हो सकेंगे। विद्यार्थीगण स्वयं उन उपकरणों के जिम्मेदार रहेंगे, जो उस प्रयोगशाला से दिये जायेंगे।

महत्वपूर्ण – उपरोक्त नियम शासन द्वारा कभी भी बदले जा सकते हैं तथा किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विषय का चयन तथा पाठ्यक्रम संबंधित समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियम छात्रों पर लागू होंगे।

महाविद्यालयीन वार्षिक कार्य योजना

1.	**प्रवेश प्रक्रिया**	–	16.06.2016 से 31.07.2016
2.	**कुलपति का अधिकार**	–	14.08.2016
3.	**वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा**	–	16.06.2016
4.	**पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा**	–	30.09.2016
5.	**पूरक परीक्षा का आयोजन**	–	न्यूनतम समय में
6.	**पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा**	–	31.10.2016
7.	**छात्रसंघ गतिविधियां –**		
	चुनाव प्रक्रिया/शपथ ग्रहण	–	22.08.2016 से 31.082016
8.	**खेलकुद प्रारंभ (शासन स्तर पर)**	–	16.07.2016 से 20.12.2016 तक
	महाविद्यालयीन स्तर पर	–	21, 22, 23 दिसंबर 2016 में
	व सांस्कृतिक गतिविधियाँ	–	(कोई दो दिन)
9.	**एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा**		
	वृक्षारोपण	–	जुलाई 2016 का द्वितीय सप्ताह
	शिविर गतिविधियाँ	–	14.10.2016 से 23.10.2016 के मध्य
	महाविद्यालय स्तर पर वर्षिकोत्सव का आयोजन	–	21,22,23 दिसंबर 2016 में का एक दिन
	एन.सी.सी एवं एन.एस.एस. कैम्प	–	24.12.2016 से 31.12.2016
	दीक्षान्त समारोह	–	माह दिसम्बर 2016/जनवरी 2017
10.	**विभिन्न अवकाश :**		
	दशहरा (3 दिन)	–	10.10.2016 से 12.10.2016
	दीपावली (5 दिन)	–	29.10.2016 से 02.11.2016
	शीतकालीन (4 दिन)	–	24.12.2016 से 27.10.2016
	ग्रीष्मकालीन अवकाश(30 दिन)	–	16.05.2017 से 14.06.2017
11.	**आंतरिक मूल्यांकन :**		
	(1) प्रथम इकाई मूल्यांकन	–	01.08.2016
	(2) द्वितीय इकाई मूल्यांकन	–	31.08.2016
	प्रथम सत्र परीक्षा (त्रैमासिक)	–	26,27,28 सितम्बर 2016
	(3) तृतीय इकाई मूल्यांकन	–	03.11.2016
	द्वितीय सत्र परीक्षा (अर्द्धवार्षिक	–	27,28,29 नवम्बर
	(4) चतुर्थ इकाई मूल्यांकन	–	19.12.2016
	(5) पंचम इकाई मूल्यांकन	–	21,22,23 जनवरी
12.	**वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम :**		
	(1) वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	–	16.02.2017 से 28.02.2017
	(2) वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	–	16.02.2017 से 28.02.2017

13. **अध्यापन कार्य दिवस(सामान्य अवकाश छोड़कर) :–**

2016 जुलाई	–	25	2016 अगस्त	–	24
2016 सितम्बर	–	25	2016 अक्टूबर	–	21
2016 नवम्बर	–	23	2016 दिसम्बर	–	23
2017 जनवरी	–	25	2017 फरवरी	–	24

नोट : वार्षिक परीक्षा समय सारिणी का प्रकाशन वि.वि. द्वारा पृथक से किया जायेगा

महाविद्यालयीन परिवार

महाविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी –

क्र.	नाम	पदनाम	विषय	दूरभाष क्रमांक
1.	डॉ.एम.एल. लखनपाल	प्राचार्य	–	9424279965
2.	श्री एस.के. वासनीकर	सहा.प्राध्यापक	हिन्दी साहित्य	9424291357
3.	श्री एम.डी. मिरी	सहा.प्राध्यापक	वाणिज्य	7389191797
4.	श्री राजमणि पटेल	सहा.प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	942552610....
5.	पी.के.लहरे	सहा.प्राध्यापक	वानस्पतिक शास्त्र	8109968744
6.	रिक्त	सहा.प्राध्यापक	भौतिकी	–
7.	रिक्त	सहा.प्राध्यापक	गणित	–
8.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	प्राणीशास्त्र	–
9.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	–
10.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी	–
11.	रिक्त	सहा. प्राध्यापक	समाजशास्त्र	–

महाविद्यालय परिवार

महाविद्यालय के कार्यालयीन/प्रयोगशाला स्टाफ की जानकारी –

क्र.	नाम	पदनाम
1.	–	सहायक ग्रेड– 1
2.	–	सहायक ग्रेड– 2
3.	–	सहायक ग्रेड–3
4.	श्री एम.आर. कड़याम	प्रयोगशाला तकनीशियन (प्रभारी लिपिक)
5.	श्री एफ.आर. साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन (प्रयोगशाला/शुल्क लिपिक प्रभारी)
6.	श्री एस.के. नाग	प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रंथालय प्रभारी)
7.	श्री एस.एल. देवांगन	भृत्य
8.	श्री एस.आर. पोयाम	भृत्य

जनभागीदारी समिति

शासकीय महाविद्यालय
भानपुरी जिला-बस्तर (छ.ग.)

1.	अध्यक्ष	माननीय केदार कश्यप मंत्री छ.ग. शासन आदिमजाति कल्याण एवं स्कूल शिक्षा विभाग
2.	उपाध्यक्ष	जिलाधीश/उनका प्रतिनिधि
3.	सदस्य सचिव	श्री एम.एल. लखनपाल प्राचार्य,शा. महाविद्यालय,भानपुरी
4.	सदस्य	श्री रूपसिंह मण्डावी
5.	सदस्य	श्री विजय तिवारी
6.	सदस्य	श्री तरूण चोपड़ा
7.	सदस्य	श्री संतोष बघेल
8.	सदस्य	श्री नागेन्द्र जोशी
9.	सदस्य	श्री असगर खा
10.	सदस्य	श्री विजय पाण्डे
11.	सदस्य	श्री मुरली यादव
12.	सदस्य	श्री सी.आर. बंछोर
13.	सदस्य	श्रीमती जागेश्वरी बघेल
14.	सदस्य	श्री लुदरू कश्यप
15.	सदस्य	श्री राजेश सागर
16.	सदस्य	श्री दयानिधि ठाकुर
17.	सदस्य	श्रीमती शांति पटेल

..... विशेष .....

1. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल लाना, पान मसाला, गुटका, धुम्रपान का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है ।

2. महाविद्यालय परिसर तथा परिसर से बाहर किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा रैनिंग लेना/शामिल होना, प्रोत्साहित करना सख्त दण्डनीय अपराध है ।

आदेशानुसार
प्राचार्य

वचन पत्र

मैं .....

माता/पिता.....

कक्षा .....विभाग/छात्रावास .....

घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है,मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूँगा/रहूंगी,मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है, और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया जाता/पायी जाती/हूँ तो मैं दण्ड का भागी रहूँगा /रहूँगी ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नही होगा/होगी । मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजा ज्ञात है, और यदि मेरा पाल्य रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाता/जाती है तो उसको दी जाने वाली सजा से मैं सहमत रहँगा/रहूँगी ।

पिता/माता/ अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप :- यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नही पाये गये तो छात्र के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेंदार होगें ।

वचन -पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा करें